

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 10886/2025

सुरेन्द्र

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता :-आनंद कुमार श्रीवास्तव, अंकुर यादव, जगदीश प्रताप पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

- वर्तमान जमानत आवेदन, थाना पूरा कलंदर, जनपद अयोध्या के वाद अपराध संख्या 0422/2025, अंतर्गत धारा 333, 110, 115(2), 352, 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, में जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार यह आरोप है कि दिनांक 20.06.2025 को पड़ोस में एक सगाई समारोह था। रात्रि में, अभियुक्त गोलू उसकी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। पुनः दिनांक 25.06.2025 को, जब गोलू दोबारा अभियुक्त के घर के पास आया, तो उसने फिर से अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। विरोध करने पर, अभियुक्त आवेदनकर्ता और गोलू ने जान से मारने की नियत से पीड़िता मानसी पर हमला कर दिया। शोर-शराबा सुनकर निर्मला और विक्रम

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

मौके पर पहुंचे, किंतु उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटा गया, जिसके कारण विक्रम और मानसी बेहोश हो गए। तत्पश्चात, गोलू और सुरेंद्र जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

4. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदनकर्ता निर्दोष है। उसे पड़ोस की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलेखित अपने बयान में, पीड़िता मानसी ने कथित घटना में आवेदनकर्ता की किसी भी प्रकार की संलिप्तता का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में, उसने सुधार करते हुए वर्तमान आवेदनकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त उमेश उर्फ गोलू, जो आवेदनकर्ता का दूर का रिश्तेदार है, परिवादी के घर आया था और उसने मानसी के साथ छेड़खानी की थी, जिसके पश्चात मारपीट की घटना हुई। उक्त घटना में विक्रम के सिर में चोट भी आई है, जो आवेदनकर्ता द्वारा नहीं बल्कि गोलू द्वारा पहुंचाई गई थी। आवेदनकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 28.06.2025 से जेल में निरुद्ध है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त आवेदनकर्ता ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के पुत्र, पुत्री और पत्नी पर हमला किया तथा उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाईं।

6. मैंने तर्कों पर विचार एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने सह-अभियुक्त गोलू के साथ मिलकर विक्रम और दो अन्य व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। घायल विक्रम को निम्नवत मुख्य चोटें आई हैं:

"विवरण:(अवलोकन चिकित्सीय अनुपूरक आख्या.....) अनुपूरक चोट आख्या

*(बेड हेड टिकट के अनुसार) नाम: विक्रमपता: ग्राम फैजाबाद भारत कुंडआयु/लिंग: 28 वर्ष/ पुरुष
पिता का नाम: राम गोपालक्षेत्र/शहर: फैजाबाद थाना: अयोध्याराज्य: उत्तर प्रदेश अस्पताल में भर्ती होने की तिथि: 27.06.2025 अस्पताल से छुट्टी होने की तिथि: 12.07.2025 आख्या: दिनांक 25.06.2025 को अयोध्या में कथित रूप से शारीरिक हमले (मारपीट) का इतिहास बताया गया। बेहोशी का इतिहास-उपस्थित उल्टी का इतिहास-(अनुपस्थित) दौरे का इतिहास - (अनुपस्थित) कान से रक्तस्राव-(अनुपस्थित) नाक से रक्तस्राव-(अनुपस्थित) गले से रक्तस्राव - (अनुपस्थित) उच्च*

अस्वीकरण:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

रक्तचाप/टाइप-2 मधुमेह/तपेदिक/दमा/औषधि एलर्जी का कोई इतिहास नहीं। परीक्षण पर:जीवन रक्षक संकेतस्थिर पाए गए। छाती/हृदय प्रणाली/पेट - सामान्य।जीसीएस: E1VETM2दोनों पुतलियाँ: द्विपक्षीय रूप से प्रतिक्रिया रहित/स्थिर।छाती एवं श्रोणि दबाव परीक्षण नकारात्मक। लंबी हड्डियों में कोमलता नहीं पाई गई। निदान:दोनों पार्श्विका अस्थियों में अस्थि भंग, दाहिने टेम्पोरो-पारिएटल कंट्यूजन, बाएँ पारिएटल मस्तिष्क के ऊतकों में चोट या सूजन है। प्रक्रिया/शल्य चिकित्सा: दिनांक 28.06.2025 को दाहिने फ्रंटो-टेम्पोरो-पारिएटल डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टॉमी, टेम्पोरल लोबेक्टॉमी, ड्यूरा को खुला छोड़ते हुए मास क्लोजर, बोन फ्लैप (कुल 4 टुकड़े) सुरक्षित रखकर, लम्बर ड्रेन स्थापित किया गया। अस्पताल में उपचार अवधि के दौरान: शल्य चिकित्सा उपरांत खराब ग्लासगो कोमा स्केल के दृष्टिगत दिनांक 29.06.2025 को ट्रेकियोस्टॉमी की गई।राइल्स ट्यूब द्वारा आहार प्रारंभ किया गया।छाती एवं अंगों की सघन फिजियोथेरेपी की गई। ऑपरेशन के पाँचवें दिन लम्बर ड्रेन निकाल दिया गया। क्रमशः रोगी का ग्लासगो कोमा स्केल सुधरकर E2VTM3 हो गया। रोगी के टांके निकाल दिए गए तथा परिचारकों/परिजनों को ट्रेकियोस्टॉमी की देखभाल, राइल्स ट्यूब फीडिंग तथा छाती एवं अंगों की फिजियोथेरेपी के संबंध में समुचित जानकारी दी गई। दिनांक 12.07.2025 को रोगी को मौखिक औषधियाँ सहित अस्पताल से छुट्टी दी गई तथा नर्सिंग देखभाल हेतु निकटवर्ती सरकारी अस्पताल को संदर्भित किया गया। साथ ही तंत्रिका शल्य चिकित्सा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नियमित फॉलो-अप हेतु परामर्श दिया गया। डॉ. अंकन बसु वरिष्ठ निवासी, तंत्रिका शल्य चिकित्सा विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।

डॉ. अंकन बसु का कथन निमन्वत रूप से उद्धृत किया जा रहा है:

"बयान चिकित्सक..... डाक्टर श्री अंकन बासूसीनीयर रेजीडेंट डिपार्टमेंट ट ऑफ न्यूरोसर्जरी अधीक्षक के.जी.एम.यू. लखनऊ ने पूछ ताछ करने पर बताया कि मजरूब विक्रम पुत्र रामगोपाल उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम मिर्जापुर निमौली थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या का ईलाज मेरेद्वारा दिनांक 27/06/2025 से12/07/2025 तक किया गया मजरूब विक्रम की स्थिति काफी नाजुक बनी हुयी थी उसके सर में गंभीर चोट आयी थी। मजस्य UNCONSCIOUS स्थिति मेंहैविक्रम का शरीर किसी भी प्रकार का रेस्पोंड नहीं कर रहा हैदोनों तरफ की पेरिएटल हड्डी का टूटना, साथ ही दाहिने टेम्पोरो-पेरिएटल हिस्से में मस्तिष्क अभिघात (चोट/नील), बाएं पेरिएटल हिस्से में मस्तिष्क अभिघात, एवं ब्रेन स्टेम (मस्तिष्क के मुख्य आधार) में अभिघात।" का होना पाया गया है आगेमरीज की स्थिति कब सही होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। यही मेरा बयान है।"

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

8. घायल विक्रम को आई चोटों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त-आवेदक को झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त-आवेदक ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर, समान आशय से, घायल विक्रम को गंभीर चोटें पहुँचाई हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्तमान आवेदक का नाम सह-अभियुक्त गोलू के साथ दर्ज है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदनकर्ता ने वादी के पुत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। सिर में आई चोटों के कारण घायल व्यक्ति अचेत हो गया था और उसे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। वादी ने जाँच अधिकारी के समक्ष दिए गए अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के वृत्तांत को दोहराया है। पीड़िता मानसी ने भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलेखित अपने बयान में आवेदनकर्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। घायल निर्मला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दिए गए अपने बयान में आवेदक और सह-अभियुक्त द्वारा विक्रम सहित तीनों घायलों पर हमले के विशिष्ट आरोप लगाए हैं; जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विक्रम के शरीर के महत्वपूर्ण अंग सिर पर गंभीर चोट आई है। स्वतंत्र साक्षी विशाल ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोनों अभियुक्तों ने घायल विक्रम के सिर पर डंडे से प्रहार किया है और साथ ही मानसी एवं निर्मला को भी चोटें पहुँचाई हैं। गंभीर हमले की अभियोजन कहानी की पुष्टि घायल विक्रम की अनुपूरक चोट आख्या से होती है।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार, आवेदन निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

केकेबी

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”